न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 327/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/530

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण

जैरूपाराम पुत्र नारायणराम
जाति नाई
निवासी रेवाड़ा आसिया,
तहसील–पचपदरा व जिला
बालोतरा

1.गवरी पत्नि गोपीराम
2.जोधाराम पुत्र मांगीलाल
3.मेहराराम पुत्र गोपीराम
4.लादूराम पुत्र वरदाराम
5.शंकरराम पुत्र गोपीराम
6.सांवलराम पुत्र मांगीलाल
जाति भाट निवासी रेवाड़ा आसिया
7.सार्वजनिक निर्माण विभाग,बालोतरा
8.भीमाराम पुत्र बुधाराम जाति कलबी निवासी थोब तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा
9.श्रीमती रूपादेवी पत्नि रूपाराम
जाति कलबी निवासी राजेश्वर
10.अर्जुन भारती पुत्र हुकमभारती
11.अशोक भारती पुत्र हुकमभारती
12.श्रीमती खम्मा पत्नि हुकमभारती
13.श्रीमती खम्मादेवी पत्नि धनभारती
14.गणपत भारती पुत्र बीजभारती
15.देवभारती पुत्र बीज भारती
16.प्रकाश भारती पुत्र हुकम भारती
17.पुष्पा देवी पत्नि आईदान
18.महेन्द्र भारती पुत्र हुकम भारती
19.श्रीमती मांगी देवी पत्नि लाल भारती
20.लक्ष्मी पुत्री हुकम भारती
21.विशन भारती पुत्र बीजभारती
जाति गोस्वामी निवासी रेवाड़ा संडायचा
22.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर, जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री रामेश्वरलाल गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 28.1.2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा आसिया, पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 72/40 क्षेत्रफल 5.2609 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम रेवाड़ा आसिया, पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 72/40 क्षेत्रफल 5.2609 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा आसिया, पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 72/40 क्षेत्रफल 5.2609 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा आसिया, पटवार

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 72/40 क्षेत्रफल 5.2609 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रेवाड़ा आसिया, पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 72/40 क्षेत्रफल 5.2609 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर. एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 20.6.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख तो किया गया है,लेकिन सीमाज्ञान करने से पूर्व सेढा पड़ौसीयो को विधिवत नोटिस दिए जाकर उनकी उपस्थिति मे कार्यवाही किया जाना ऐसा सीमाज्ञान रिपोर्ट मे अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रेवाड़ा आसिया, पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 72/40 क्षेत्रफल 5.2609 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। उक्त कार्यवाही करने से पूर्व दोनो पक्षो को जरिए नोटिस सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर उनकी उपस्थिति मे कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

28/01

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28.1.2026 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

28/01

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा